प्रेस नोट

जनपद बस्ती।

दिनांक 21.11.2026

एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर तय हुए कमीशन के भुगतान को लेकर हुए विवाद में राजीव पाण्डेय का अपहरण कर गम्भीर रुप से घायल करने वाले मुख्य अभियुक्त को थाना कोतवाली पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री ओमवीर सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 521/2026 धारा 140(2) बी0एन0एस0 धारा 311,109 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभि0 ओम मिश्रा पुत्र चन्द्र मणि मिश्रा उर्फ मणि मिश्रा सा0 रानीपुर थाना नगर जनपद बस्ती उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। अन्य 04 अभियुक्तों की गिरप्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा 03 टीमो का गठन किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. ओम मिश्रा पुत्र चन्द्र मणि मिश्रा उर्फ मणि मिश्रा सा0 रानीपुर थाना नगर जनपद बस्ती उम्र 24 वर्ष।

प्रकाश में आये अभियुक्त:-

1. अभिषेक उर्फ मुन्ना लाल पुत्र रामबुझारथ निवासी टोला भण्डारे मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।
2. रितेश यादव पुत्र शिवानन्द निवासी नरकटहा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज।
3. सुधाशु यादव
4. मुन्ना प्रजापति

बरामदगी -

1. घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्वीप्ट डिजायर कार सफेद रंग बिना नंबर की चेचिस सं0 MA3ZFDFSKTK608595

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.11.26 को समय लगभग 19.00 बजे श्री राजीव पान्डेय उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री राम मनोहर पान्डेय पता भैसहिया थाना कोतवाली जनपद बस्ती कंपनी बाग में कम्प्यूटर / इलेक्ट्रानिक पार्ट के व्यपारी हैं, इनकी दुकान कंपनी बाग बस्ती में हैं। इनकी ओम मिश्रा पुत्र चन्द्र मणि मिश्रा उर्फ मणि मिश्रा सा0 रानीपुर थाना नगर जनपद बस्ती उम्र 24 वर्ष से किसी जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कमीशन के 1800000 रूपये को लेकर विवाद चल रहा था यह पैसा ओम मिश्रा द्वारा राजीव पाण्डेय को देना था पैसा न देना पड़े इसके लिए एक पूर्व नियोजित तो योजना के तहत दिनांक 19.11.2026 को ओम मिश्रा ने दिन में पहले राजीव पाण्डेय के दुकान पर दोपहर में जाकर एक लाख रुपये दिये और यह विश्वास दिलाया की आज शाम को 07.00 बजे तक आपका पुरा पैसा 17,00,000 (सत्रह लाख) रुपया दे दुगां। उसके बाद शाम को 07.00 बजे ओम मिश्रा ने अपने मोबाईल नम्बर 7054462212 से राजीव पाण्डेय के मोबाईल नम्बर 7007110257 पर काल करके बताया कि आप पकौड़ी चौराहे पर चले आईये, मैं यहीं पैसा लेकर

आपका इंतजार कर रहा हुँ। विश्वास में आकर मजरूब राजीव पाण्डेय अपने स्कुटी से पकौड़ी चौराहे पर गये तो ओम मिश्रा ने पैसा देने के बहाने अपने सफेद रंग की बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार में राजीव पाण्डेय को जबरदस्ती बैठा लिया गाडी में योजना के तहत पूर्व से ही 04 लोग गाडी मे बैठे थे। पकौड़ी चौराहे से अपहरण करके अमहट पुल होते हुए बांसी रोड़ पर आगे रुधौली तक अपहृत/मजरूब को ले गये, रास्ते में ओम मिश्रा तथा उसके चारो साथियों ने मिलकर राजीव पाण्डेय को मारा- पीट कर मरणासन कर दिया गया और मरा समझ कर चलता गाड़ी से फेक दिया गया तथा जानलेवा हमला करते हुए इनकी अंगूठी, चैन व पैसे भी छीन लिये। राहगीर द्वारा पुलिस चौकी विशुनपुरा थाना रुधौली जनपद बस्ती पर सूचना दी गयी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर तत्परता से अपहृत/मजरूब राजीव पाण्डेय को सी0एच0सी0 रुधौली पहुंचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इनको जिला अस्पताल बस्ती रेफर किया गया।

घटना मे संलिप्त मुख्य अभि0 ओम मिश्रा पुत्र चन्द्र मणि मिश्रा उर्फ मणि मिश्रा सा0 रानीपुर थाना नगर जनपद बस्ती उम्र 24 वर्ष को आज दिनांक 21.11.2026 को समय 13.10 फुटहिया मोड़ थाना नगर जनपद बस्ती से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना मे परयुक्त कार बिना नंबर के सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर की बरामदगी की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टींम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बृजानन्द सिंह जनपद बस्ती।
02.उ0नि0 रतिश चंचल चौकी प्रभारी सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
03.उ0नि0 अमित कुमार चौकी प्रभारी बड़ेबन थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
04.हे0का0 शैलेश शर्मा, का0 राजू यादव, का0 देवेन्द्र गुप्ता, का0 चन्दन यादव, का0 कुंज बिहारी, का0 अभिषेक कुमार, म0का0 खुशबु पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

